

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश  
गौतम नगर, भोपाल 462023

दूरभाष- 91-0755-2583650 फेक्स- 91-0755-2583651

ई-मेल dpimp@sancharnet.in

क्रमांक/स्था-2/अ-2/27/2009/1345

... आदेश ...

भोपाल, दिनांक 26/10/09

लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश क्रमांक स्था-2/अ/पदो./05/2009/884-885 दिनांक 01.08.2009 द्वारा शिक्षक/प्र.अ. माध्यमिक विद्यालय पद से व्याख्याता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नति की जाकर कॉलम क्रमांक 06 अनुसार पदस्थापना आदेश जारी किए गए थे। पदोन्नति आदेश के पालन में निर्धारित दिनांक 08 अगस्त 2009 तक पदोन्नत व्याख्याताओं को पदांकित संस्था में अपनी उपस्थिति व्याख्याता पद पर देनी थी। निम्नलिखित पदोन्नत व्याख्याताओं द्वारा पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण न करने एवं पदोन्नति का परित्याग करने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है जिस पर विचारोपरांत निम्नलिखित पदोन्नत व्याख्याता की पदोन्नति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाकर पूर्व संस्था में यथावत पदस्थ रखा जाता है:-

स.क्र	पदोन्नति आदेश का सरल क्रमांक	पदोन्नत शिक्षक का नाम, पद एवं कार्यरत संस्था	जाति	विषय	पदोन्नति उपरांत पदांकित संस्था
1	2	3	4	5	6
1	216	श्रीमती प्रतिमा मगरे, उ.श्रे.शि. डाइट खरगोन	सामान्य	राजनीति	शा.बा.उ.मा.वि. पंधाना खण्डवा
2	348	श्री राधेश्याम पाटीदार, प्र.अ. डाइट खरगोन	सामान्य	हिन्दी	शा.उ.मा.वि. अवतिपुर बडोदिया शाजापुर
3	446	श्री तीरथ लाल झारिया, प्र.अ. शा.मा.वि. तिघरा सिवनी	अज्ञा	इतिहास	शा.उ.मा.वि. बल्देवगढ़ टीकमगढ़

उपरोक्त लोक सेवकों की सेवा पुस्तिका में स्वेच्छा के आधार पर पदोन्नति परित्याग करने पर पदोन्नति निरस्तीकरण आदेश की विधिवत् प्रविष्टि की जाए। ऐसे लोक सेवक के पदोन्नति आदेश निरस्त होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर पदोन्नति हेतु अगली रिक्ति उद्भूत होने तक नवीन पदोन्नति प्रस्ताव नहीं दिया जाएगा। उच्च संवर्ग / सेवा के बाहर / पद के वेतनमान से परिणामिक पदोन्नति पर ऐसे लोक सेवक उच्च संवर्ग / सेवा के बाहर / पद के वेतनमान पर पूर्ववर्ती वर्ष में पदोन्नत किए गए उसकी कनिष्ठ की तुलना में वरिष्ठता से वंचित हो जाएगा।

  
आयुक्त


लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पू.क्रमांक/स्था-2/अ-2/27/2009/1346  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 26/10/09

1. निज सचिव माननीय मंत्रीजी मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल।
3. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभागीय कार्यालय इंदौर, उज्जैन सागर, जबलपुर, मध्यप्रदेश।

4. जिला शिक्षा अधिकारी जिला खरगोन एवं सिवनी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उल्लेखित लोक सेवकों के भविष्य में निर्धारित एक वर्ष की समय सीमा अवधि के पश्चात जब भी पदोन्नति प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाएँ तो उन पदोन्नति प्रस्ताव में पुर्व पदोन्नति आदेश को स्पष्ट रूप से अंकित किया जाए।
5. जिला शिक्षा अधिकारी खण्डवा, शाजापुर एवं टीकमगढ़।
6. जिला कोषालय अधिकारी जिला खरगोन, खण्डवा, शाजापुर, सिवनी एवं टीकमगढ़ मध्यप्रदेश।
7. संबंधित संस्था प्राचार्यों, की ओर पालनार्थ प्रेषित।
8. संबंधित जन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



आयुक्त  
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

गौतम नगर, भोपाल 462023

दूरभाष- 91-0755-2583650 फेक्स- 91-0755-2583651

ई-मेल dpimp@sancharnet.in

क्रमांक/स्था-2/अ-2/27/2009/1347

भोपाल, दिनांक 26/10/09

:: आदेश ::

लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश क्रमांक स्था-2/अ/पदो./05/2009/884-885 दिनांक 01.08.2009 द्वारा शिक्षक/प्र.अ. माध्यमिक विद्यालय पद से व्याख्याता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नति की जाकर कॉलम क्रमांक 06 अनुसार पदस्थापना आदेश जारी किए गए थे। पदोन्नति आदेश के पालन में निर्धारित दिनांक 08 अगस्त 2009 तक पदोन्नत व्याख्याताओं को पदांकित संस्था में अपनी उपस्थिति व्याख्याता पद पर देनी थी। जिसके परिपालन में निम्नलिखित लोकसेवक द्वारा पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण कर पदोन्नति निरस्त किये जाने के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत किये हैं। जिस पर विचारोपरांत निम्नलिखित पदोन्नत व्याख्याताओं की पदोन्नति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाकर पूर्व संस्था में यथावत पदस्थ रखा जाता है:-

स.क	पदोन्नति आदेश का सरल क्रमांक	पदोन्नत शिक्षक का नाम,पद एवं कार्यरत संस्था	जाति	विषय	पदोन्नति उपरांत पदांकित संस्था
1	2	3	4	5	6
1	139	श्री आर.एस.शर्मा, प्र.अ. शा.उ. मा.वि. कृषि कन्या हिन्दोरिया दमोह	सामान्य	संस्कृत	शा.उ.मा.वि. मॉडल शाहजहाँनाबाद, भोपाल
2	255	श्री दिनेश कुमार आगाल, प्र.अ. शा.मा.वि. बेसरकुण्ड खरगोन	सामान्य	हिन्दी	शा.उ.मा.वि. बा. तराना उज्जैन

उपरोक्त लोक सेवकों की सेवा पुस्तिका में स्वेच्छा के आधार पर पदोन्नति परित्याग करने पर पदोन्नति निरस्तीकरण आदेश की विधिवत् प्रविष्टि की जाए। ऐसे लोक सेवक के पदोन्नति आदेश निरस्त होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर पदोन्नति हेतु अगली रिक्ति उद्भूत होने तक नवीन पदोन्नति प्रस्ताव नहीं दिया जाएगा। उच्च संवर्ग /सेवा के बाहर /पद के वेतनमान से परिणामिक पदोन्नति पर ऐसे लोक सेवक उच्च संवर्ग /सेवा के बाहर/पद के वेतनमान पर पूर्ववर्ती वर्ष में पदोन्नत किए गए उसकी कनिष्ठ की तुलना में वरिष्ठता से वंचित हो जाएगा।



लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश


पृ.क्रमांक/स्था-2/अ-2/27/2009/1348

भोपाल, दिनांक 26/10/09

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव माननीय मंत्रीजी मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल।
3. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सभागीय कार्यालय सागर, भोपाल, इंदौर, एवं उज्जैन मध्यप्रदेश।

4. जिला शिक्षा अधिकारी जिला दमोह, खरगोन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उल्लेखित लोक सेवकों के भविष्य में निर्धारित एक वर्ष की समय सीमा अवधि के पश्चात जब भी पदोन्नति प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाएँ तो उन पदोन्नति प्रस्ताव में पुर्व पदोन्नति आदेश को स्पष्ट रूप से अंकित किया जाए।
5. जिला शिक्षा अधिकारी भोपाल, उज्जैन ।
6. जिला कोषालय अधिकारी जिला ~~दमोह~~ भोपाल, ~~खरगोन~~ एवं उज्जैन, मध्यप्रदेश।
7. संबंधित संस्था प्राचार्यों की ओर पालनार्थ प्रेषित।
8. संबंधित जन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



आयुक्त  
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश